

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पहाडी (भरतपुर)

पीठासीन अधिकारी संजय गोयल आर0ए0एस

मुकदमा नं0 10/2022

मुबीन पुत्र रज्जाक जाति मेव निवासी सांवलेर तहसील पहाडी (भरतपुर)

प्रार्थी

बनाम

1. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार पहाडी (भरतपुर)
2. अब्बास पुत्र समैसिंह
3. अमीरी पत्नी जुहरखां
4. अरसद पुत्र जुहर खां
5. इकराय पुत्र जुहरखां
6. इस्लाम खां पुत्र समैसिंह
7. मुंशी पुत्र समैसिंह
8. याकूब पुत्र समैसिंह
9. हारून पुत्र समैसिंह जाति मेव निवासी ग्राम सांवलेर तहसील पहाडी
अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128, 136 एल0आर0 एक्ट

— श्री यशपाल सैनी वकील प्रार्थी

दिनांक :- 08/07/2022

निर्णय

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128, 136 एलआर एक्ट के तहत विरुद्ध अप्रार्थीगण इस आशय का पेश किया कि आराजी खाता संख्या 686 का खसरा नम्बर 172/0.16 तथा खाता संख्या 678 का खसरा नम्बर 171/0.48 हैक्टर बांके ग्राम सांवलेर तहसील पहाडी में स्थित है। आराजी खसरा नम्बर 172/0.16 का प्रार्थी तथा खसरा नम्बर 171/0.48 के अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 9 खातेदार काश्तकार काबिज आराजी है। जो अपने-अपने हिस्से की भूमि पर काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है तथा आज भी मौके पर कब्जा व काश्त है। बन्दोबस्त विभाग द्वारा प्रार्थी के साविक खसरा नम्बर 91 मिन का नया नम्बर 172/0.16 तथा अप्रार्थीगण संख्या 2 लगायत 9 के साविक खसरा नम्बर 91मिन का नया नम्बर 171/0.48 कायम कर नये नक्शे में तरमीम खिलाफ मौका व कब्जा व खिलाफ कानून के एक दूसरे खसरा नम्बर के स्थान पर गलत दर्ज कर दिये। प्रार्थी का खसरा नम्बर 172 को अप्रार्थीगण संख्या 2 लगायत 9 के खसरा नम्बर 171 के स्थान पर खिलाफ मौका कब्जा के गलत दर्ज कर दिया। जिससे प्रार्थी को सख्त हक तलफी हो रही है तथा आपस में तनाजा हो रहा है।


उपखण्ड अधिकारी
पहाडी (भरतपुर)



जिससे मौका अनुसार शुद्ध किया जाना आवश्यक है। नये नक्शे में गलत इन्द्राज की जानकारी नकल नक्शा ट्रेस, नकल जमाबन्दी लेने पर दिनांक 10/02/2022 को हुई इससे पूर्व कोई जानकारी नहीं थी। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि बन्दोबस्त विभाग द्वारा तैयार किये गये नक्शे को संशोधित किया जावे कि हाल नय नक्शे में दर्ज प्रार्थी का खसरा नम्बर 172/0.16 को नये नक्शे में दर्ज अप्रार्थीगण संख्या 2 लगायत 9 के खसरा नम्बर 171/0.48 के स्थान पर तथा खसरा नम्बर 171/0.48 को खसरा नम्बर 172/0.16 के स्थान पर हाल मौका कब्जानुसार दर्ज किया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 तहसीलदार पहाड़ी ने दिनांक 30/06/2022 को न्यायालय में उपस्थित होकर मौका पर्चा रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि आराजी खसरा नम्बर 171/0.48, 172/0.16 के मौके पर पहुंचा मुताबिक रिकॉर्ड जमाबन्दी सम्वत 2075-78 के खसरा नम्बर 172/0.16 पर मुबीन पुत्र रज्जाक हिस्सा पूर्ण जाति मेव राहिन पीएनबी शाखा सोमका दर्ज रिकॉर्ड हैं। खसरा नम्बर 171/0.48 पर अप्रार्थीगण अब्बास पुत्र समैसिंह वगैराह जाति मेव साकिन सांवलेर खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। मौके पर जाँच अनुसार पाया कि खसरा नम्बर 171/0.48 में से 0.16 रकबा पर उत्तर दिशा में खसरा नम्बर 170 के समीप मुबीन पुत्र रज्जाक जाति मेव साकिन सांवलेर काबिज खातेदार है तथा खसरा नम्बर 171/0.48 में 0.32 हैक्टर व 172/0.16 हिस्सा पूर्ण पर अप्रार्थीगण अब्बास पुत्र समैसिंह वगैराह जाति मेव साकिन सांवलेर तहसील पहाड़ी काबिज काशत है। मौके पर उपस्थित व्यक्तियों को मौका पर्चा पढकर सुनाया गया एवं उपस्थित व्यक्तियों के हस्ताक्षर एवं अंगूठा कराये गये।

अप्रार्थीगण संख्या 2 लगायत 9 जरिये वकील न्यायालय में उपस्थित आये जबाब इस आशय का पेश किया कि साविक खसरा नम्बर 91 मिन के बन्दोबस्त विभाग द्वारा नये खसरा नम्बर 171/0.48, 172/0.16 कायम किये जाकर हाल नक्शे में उक्त खसरा नम्बर को खिलाफ मौका कब्जा के एक दूसरे खसरा नम्बर के स्थान पर गलत दर्ज कर दिया। हाल नक्शे में दर्ज प्रार्थी के खसरा नम्बर 172/0.16 के स्थान पर अप्रार्थीगण का खसरा नम्बर 171/0.48 तथा खसरा नम्बर 171/0.48 के स्थान पर खसरा नम्बर 172/0.16 हाल मौका कब्जानुसार दर्ज होंगे। हमें कोई आपत्ति नहीं है इसी अनुसार मौके पर काबिज काशत है। अतः जबाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि हाल कब्जानुसार नये नक्शे में संशोधन किया जावे कि खसरा नम्बर 172/0.16 के स्थान पर 171/0.48 तथा खसरा नम्बर 171 के स्थान पर खसरा नम्बर 172 को मौका कब्जानुसार शुद्ध किया जावे।


उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

बहस वकील प्रार्थी सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में दर्ज तथ्यों को ही दोहराया ।

हमने बहस उभय पक्षकारान का मनन किया, पत्रावली में संलग्न राजस्व रिकॉर्ड एवं जबाब तहसीलदार का गहनता से अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0 एक्ट के तहत इस आशय का पेश किया कि आराजी खसरा नम्बर 172/0.16 तथा खसरा नम्बर 171/0.48 हैक्टर बांके ग्राम सांवलेर तहसील पहाडी में स्थित है। जो कि साविक खसरा नम्बर 91 मिन से निर्मित हुए है। मुताबिक रिकॉर्ड जमाबन्दी सम्वत 2075-78 के खसरा नम्बर 172/0.16 पर मुबीन पुत्र रज्जाक हिस्सा पूर्ण जाति मेव राहिन पीएनबी शाखा सोमका दर्ज रिकॉर्ड हैं। खसरा नम्बर 171/0.48 पर अप्रार्थीगण अब्बास पुत्र समैसिंह वगैराह जाति मेव साकिन सांवलेर खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। परन्तु 0.16 रकबा पर उत्तर दिशा में खसरा नम्बर 170 के समीप मुबीन पुत्र रज्जाक जाति मेव साकिन सांवलेर काबिज खातेदार है तथा खसरा नम्बर 171/0.48 में 0.32 हैक्टर व 172/0.16 हिस्सा पूर्ण पर अप्रार्थीगण अब्बास पुत्र समैसिंह वगैराह जाति मेव साकिन सांवलेर तहसील पहाडी काबिज काश्त है। वर्तमान नक्शे में बन्दोबस्त विभाग द्वारा नया नक्शा निर्मित करते समय मौके का निरीक्षण नहीं किया गया और नवीन नक्शे में दोनो खसरा नम्बरो को आपस में कब्जे के विपरीत दर्शा दिया है। इस तथ्य पर अप्रार्थीगण संख्या 2 लगायत 9 को कोई आपत्ति नहीं है। उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि बन्दोबस्त विभाग द्वारा नक्शा तरमीम करते समय भारी भूल की है। जिसे सुधारा जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0 एक्ट स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128, 136 एल0आर0 एक्ट स्वीकार किया जाता है। मुताबिक मौका स्थिति के खसरा नम्बर 171/0.48 रज्जाक जाति मेव साकिन सांवलेर को एवं खसरा नम्बर 170 के समीप मुबीन पुत्र हैक्टर व 172/0.16 हिस्सा पूर्ण पर अप्रार्थीगण अब्बास पुत्र समैसिंह वगैराह जाति मेव साकिन सांवलेर को दर्शाया जावे। तहसीलदार रिपोर्ट दिनांक 03.06.2022 निर्णय के साथ जुज रहेगी।
निर्णय आज दिनांक 08/07/2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(संजय गोयल)
उपखण्ड अधिकारी
पहाडी (समलपुर)